रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226317
CG-DL-E-01042021-226317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 116] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सं. 51/2015–2020

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट 2ख [उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में सशोधन।

फा.सं.01/93/180/57/एएम–21/पी.सी–2(ख)/ई–26550.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) हेतु उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करने के लिए अनुमत प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को शामिल करके विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट 2ख [उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

क्र.सं.	समझौते का नाम	प्राधिकृत एजेंसियां
16	भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	i. निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां–सभी उत्पाद ii. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय– समुद्री उत्पाद iii. विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय कार्यालय– हस्तशिल्प iv. मसाला बोर्ड– मसाले एवं काजू v. कॉयर बोर्ड– कॉयर एवं कॉयर उत्पाद vi. वस्त्र समिति और क्षेत्रीय कार्यालय– वस्त्र और परिधान vii. केन्द्रीय रेशम बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय– रेशम उत्पाद viii. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र–मद्रास एसईजेड और इसके क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू की इकाईयों द्वारा सभी उत्पाद ix. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र– कांडला और सूरत एसईजेड तथा संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू में इकाईयों द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद x. एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र–एसईईपीजेड एसईजेड और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू में इकाईयों द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद xi. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र–कोचीन एसईजेड और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू में इकाईयों द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद xii. नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र–नोएडा एसईजेड और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू में इकाईयों द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद xiii. विशाखापट्टनम एसईजेड–विशाखापट्टनम एसईजेड और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू में इकाईयों द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद xiv. फाल्टा एसईजेड–फाल्टा एसईजेड और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित ईओयू में इकाईयों द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद xv. विदेश व्यापार महानिदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय–सभी उत्पाद xvi. तंबाकू बोर्ड–तंबाकू और तंबाकू उत्पाद xvii. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)–कृषि उत्पाद

2. सार्वजनिक सूचना का प्रभावः भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के लिए उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीही) जारी करने हेतु अनुमत प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st March, 2021

No. 51/ 2015-20

Subject: Amendment of Appendix 2B [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Preferential)] of Foreign Trade Policy, 2015-2020.

F. No. 01/93/180/57/AM-21/PC-2[B]/e-26550.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends Appendix 2B [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Preferential)] of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 by including the list of authorised agencies allowed to issue CoO for India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA), as under:

S.No.	Name of the Agreement	Authorized Agencies
16	India - Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA)	i. Export Inspection Council and Export Inspection Agencies–All products ii. Marine Products Export Development Authority and regional offices – Marine Products iii. Development Commissioner, Handicraft and regional offices – Handicraft iv. Spices Board – Spices and Cashew nuts v. Coir Board – Coir and Coir products vi. Textile Committee and regional offices – Textiles and Clothing vii. Central Silk Board and regional offices – Silk Products viii. MEPZ Special Economic Zone – All products by units in Madras SEZ and EOUs located within the jurisdiction ix. Kandla Special Economic Zone – All products manufactured by Units in Kandla and Surat SEZs and EOUs located within the respective jurisdiction x. SEEPZ Special Economic Zone – All products manufactured by Units in SEEPZ SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction xi. Cochin Special Economic Zone – All products manufactures by Units in Cochin SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction xii. NOIDA Export Processing Zone – All products manufactured by Units in Noida SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction xiii. Vishakhapatnam SEZ – All products manufactured by Units in Vishakhapatnam SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction xiv. Falta SEZ – All products manufactured by Units in Falta SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction xv. Directorate General of Foreign Trade and regional offices – All products xvi. Tobacco Board – Tobacco and tobacco products xvii. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) – Agricultural Products

Effect of the Public Notice: List of authorised agencies allowed to issue CoO (Preferential) for India-Mauritius CECPA is notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade&

Ex- Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 00:14:10 +05'30'